



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.पी.-अ.-05062026-273169
CG-MP-E-05062026-273169

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2753]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 2026/ज्येष्ठ 13, 1948

No. 2753]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 2026/JYAISHTHA 13, 1948

रेल मंत्रालय
(पश्चिम मध्य रेलवे)

अधिसूचना

भोपाल, 3 जून, 2026

का.आ. 2847(अ).—केन्द्रीय सरकार रेल अधिनियम 1989 (रेल संशोधित अधिनियम 2008 की धारा 20(क) की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिये यह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, मध्यप्रदेश राज्य के विदिशा जिले में विशेष रेल परियोजना समपार फाटक क्रमांक 297 बदले रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं संचालन के लिये अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने की आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20(घ) की उपधारा (1) के अधीन उपयुक्त प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम अधिकारी अर्थात् सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग कुरवाई जिला विदिशा म.प्र. को लिखित रूप किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम अधिकारी आपेक्षाकृत व्यक्तिगत से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आपेक्षों की सुनवाई करने तक और जाँच यदि कोई हो, जिसे सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे करने के पश्चात आदेश द्वारा या तो अपेक्षो को अनुज्ञात करने या अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 (घ) की उपधारा (2) के आधीन समक्ष अधिकारी के द्वारा किया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के आधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्योरे उपलब्ध है, और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा अधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग कुरवाई व उप मुख्य अभियंता दुतीय भोपाल के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकेगा।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य में भोपाल - बीना खण्ड रेलवे लाइन में रेलवे ओवर ब्रिज (297) निर्माण परियोजना के लिये अधीग्रहण की जाने वाली संरचना या संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम:- सिरनोटा

तहसील:- कुरवाई

जिला:- विदिशा

निजी भूमि							
संख्या क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा हेक्टर में	अर्जित भूमि का रकबा हेक्टर में	भूमि प्रकार का निजी/शासकीय	भूमि की प्रकृति कृषि/पडत	भूमि सिंचित /असिंचित	परिसम्पत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	230/1	1.045	0.110	निजी	अबाद	सिंचित	निल
2	230/2	1.620	0.260	निजी	अबाद	सिंचित	वृक्ष 1 यूकेलिप्टिस
3	231/1/1	0.209	0.015	निजी	अबाद	सिंचित	निल
4	231/1/2	1.10	0.075	निजी	अबाद	सिंचित	निल
5	231/1/3	0.209	0.015	निजी	अबाद	सिंचित	निल
6	231/1/4	0.070	0.010	निजी	अबाद	सिंचित	वृक्ष 1 यूकेलिप्टिस
7	232	0.272	0.035	निजी	अबाद	सिंचित	निल
योग		4.525	0.520				
शासकीय भूमि							
1	229	0.272	0.052	रास्ता शास०	सडक	निल	निल
2	240	0.178	0.010	चरनोईशास०	पडत	निल	निल
3	245	0.073	0.018	चरनोईशास०	पडत	निल	निल
योग		0.523	0.080				

[फा. सं. Construction/BPL/ROB/Land/01/2025] O/o Dy.CE/C- II/BPL]

राजवीर, मुख्य अभियंता/निर्माण-II

MINISTRY OF RAILWAYS

(West Central Railway)

NOTIFICATION

Bhopal, the 3rd June, 2026

S.O. 2847(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (as Amendment Act 2008), the Central Government, after being satisfied that the land, brief description of which is given in the Schedule below, is required for public purpose for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project Construction of Railway Over Bridge in lieu of Level Crossing Gate No. 297 at Village Sirmota in Vidisha district of the State of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20(A) of the said act.

Every such objection shall be made in writing to the Competent Officer i.e. Competent Authority and Sub-Divisional Officer (Revenue), Sub-Division-Kurwai, District Vidisha, M.P. and shall set out there in the grounds thereof and the Competent Officer shall afford the applicant an opportunity of being heard either in person or through a legal practitioner and after hearing all such objections and making such further inquiry, if any, as the Competent Officer may deem necessary, may by order either allow or disallow the objections.

The order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20(A) of the said Act shall be final.

The plan and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the above mentioned office of the competent authority and the office of Sub-Divisional Officer (Revenue) Sub-Division- Kurwai and Deputy Chief Engineer II, Bhopal.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or structure for ROB 297 between Kalhar-Mandibamora railway station, Bhopal-Bina section in the Bhopal Division, West Central Railway.

District- Vidisha

Tehsil – Kurwai

Village – Sirnota

Private Land							
Sr.No.	Survey number	Total Area of Land (in Hectare)	Acquired Area of Land (in Hectare)	Type of Land	Nature of the Land	Land Irrigated/ Non-irrigated	Asset
1	230/1	1.045	0.110	Personal	Krishi Bhumi	Irrigated	Nil
2	230/2	1.620	0.260	Personal	Krishi Bhumi	Irrigated	01 Tree (Eucalyptus)
3	231/1/1	0.209	0.015	Personal	Krishi Bhumi	Irrigated	Nil
4	231/1/2	1.100	0.075	Personal	Krishi Bhumi	Irrigated	Nil
5	231/1/3	0.209	0.015	Personal	Krishi Bhumi	Irrigated	Nil
6	231/1/4	0.070	0.010	Personal	Krishi Bhumi	Irrigated	01 Tree (Eucalyptus)
7	232	0.272	0.035	Personal	Krishi Bhumi	Irrigated	Nil
Total		4.525	0.520				
Government Land							
1	229	0.272	0.052	Govt. Road	Govt. Road	Nil	Nil
2	240	0.178	0.010	Govt. Land	Govt. Land	Nil	Nil
3	245	0.073	0.018	Govt. Land	Govt. Land	Nil	Nil
Total		0.523	0.080				

[F. No. Construction/BPL/ROB/Land/01/2025] O/o Dy.CE/C- II/BPL]

RAJVEER, Chief Engineer/Construction-II